

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 05.04.2021

आदेश

प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के परिप्रेक्ष्य में आमजन को कोविड-19 का सहज, सुलभ एवं सुगम उपचार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत औषधियां, वीटीएम किट, पीपीई किट, मास्क, हैण्ड सेनेटाईजर आदि की निर्बाध रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, विशेषाधिकारी, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लि., जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्य में श्री श्रीनिवास मीणा, कार्यकारी निदेशक, प्रक्योरमेन्ट, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लि., जयपुर श्री शर्मा की सहायता करेंगे।

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
7. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यालय, जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लि., जयपुर
9. संबंधित अधिकारी
10. निजी / रक्षित पत्रावली।

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि समस्त जिला कलक्टर, राज. को प्रेषित कर निवेदन है कि श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, विशेषाधिकारी, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लि., जयपुर के दूरभाष नम्बर 9414367695 एवं श्री श्रीनिवास मीणा, कार्यकारी निदेशक, प्रक्योरमेन्ट, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन लि., जयपुर के दूरभाष नम्बर 9461586818 है। औषधियां, वीटीएम किट, पीपीई किट, मास्क, हैण्ड सेनेटाईजर आदि की आपूर्ति के लिए उक्त अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

शासन-उप सचिव